

आदेशानुसार दिनांक 06/8/25 को पेश हो।

6/8/25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपो। वादी द्वारा वाद विज्ञो प्रार्थना-पत्र पेश किया साथ ही "Note press" भी किया गया। पत्रावली एवं विज्ञो प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकनमनन पर्याप्त सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम (1) के प्रावधानों अनुसार वादी अपेक्षावाद को किसी भी स्तर पर प्रत्याख्यान कर सकेगा। अतः वादी का वाद विज्ञो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विज्ञो प्रार्थना-पत्र एवं "Note press" के आधार पर खारिज/ड्रोप किया जा ला है। पत्रावली केसल सुमार लेकर

Note press

(R) [Signature]

अभि

उपजजद अधिकारी  
सामरकेक

दृष्टि नो. से कम होकर दायित्व दायित्व  
 को आदेश खुले - यात्रालय में शुभा  
 गया।

~~जय~~  
 सम्बन्ध अधिकारी

संभारलेक